पत्र सं०-एम-4-01/2018...3274./वि०

बिहार सरकार

<u>वित्त विभाग</u>

प्रेषक,

सुजाता चतुर्वेदी,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी/
सभी कोषागार पदाधिकारी
बिहार ।

पटना-15, दिनांक..07.5.18

विषय :- बैंक खाता में सरकारी राशि रखे जाने के संबंध में दिशा-निर्देश ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-S-11012/3(1)/Bank/Ref. Case/2010/RBD/1688-1772 दिनांक 10.11.2016 द्वारा PFMS योजनान्तर्गत कार्यान्वयन एजेंसी/स्वायत्त निकाय/सोसाईटी के द्वारा केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित राशि के लिए अधिसूचित व्यावसायिक बैंको यथा, भारतीय स्टेट बैंक एवं अनुषंगी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक (लोक क्षेत्र उपक्रम बैंक), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अन्य अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक (निजी क्षेत्र के बैंक) के माध्यम से क्रियान्वयन किये जाने का निदेश दिया गया है ।

2. मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक-2898 दिनांक 19.11.1991 में वाणिज्यिक बैंकों में संधारित राशि को स्थानीय सहकारी बैंकों में हस्तांतरित करने का निदेश दिया गया। पुनः ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-13780 दिनांक 13.10.2008 द्वारा सहकारी बैंको में जमा राशि की निकासी कर भारतीय स्टेट बैंक/राष्ट्रीय व्यावसायिक बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में रखे जाने का निदेश दिया गया । जिसे पुनः वित्त विभागीय पत्रांक-1025 दिनांक 03.05.2011 के द्वारा राज्य सरकार/भारत सरकार एवं अन्य किसी स्त्रोतो से प्राप्त वैसी राशि जिन्हें बैंक शाखाओं में रखे जाने की छूट है, को राष्ट्रीयकृत बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में रखे जाने का निदेश दिया गया । इस प्रकार वित्त विभागीय पत्रांक 1917/वि (सा०वि०) दिनांक 11.11.2016 के द्वारा एवं उसके पूर्व में प्रत्येक वर्ष अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वर्गीकरण करते हुए सरकारी जमा राशि बैंकों में रखने के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किये गये थे ।

3. पूर्व के निर्गत सभी अनुदेशों को अवक्रमित करते हुए निम्नांकित शर्तों के अधीन मात्र अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में राशियाँ संधारित रखी जा सकती हैं :-

(i) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की जिन योजनाओं की मार्गदर्शिका के अनुपालन में बैंक खाता खोले जाने की अनिवार्यता हो, वैसे बैंक खाता के संचालन में वित्त विभाग की सहमति अपेक्षित नहीं है । भारत सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाओं के तहत केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागो/प्राधिकारों से चेक/बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से प्राप्त भू-अर्जन की राशि को राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में संधारित किया जा सकता है तथा ऐसे मामलों में भी वित्त विभागीय सहमति अपेक्षित नहीं है;

(ii) राज्य सरकार के विभिन्न विभागो/सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिए उपरोक्त कोटियों को छोड़कर अन्य मामलो में किसी विशेष कारण से राशि की निकासी कर बैंक खातें में रखना अनिवार्य हो, तो बिहार कोषागार संहिता, 2011 के प्रावधानित नियम-34 के आलोक में युक्तियुक्त कारणों के साथ भेजे गये प्रस्ताव पर वित्त विभाग विचार करने के उपरांत बैंक खाता खोला जाएगा;

Gautamuser 4/2

(iii) राज्य सरकार के अन्य शेष कार्यालयों (मुख्यतः क्षेत्रीय कार्यालयों) को किसी विशेष कारण से राशि का निकासी कर बैंक खाता में रखना अनिवार्य हो, तो युक्तियुक्त कारण के साथ संबंधित प्रशासी विभाग (जहाँ से उस कार्यालय को राशि आवंटित की जाती है) को प्रस्ताव दिया जाय । प्राप्त प्रस्ताव के समीक्षोपरांत औचित्य पूर्ण मामलें में विशेष परिस्थिति में प्रशासी विभाग द्वारा बिहार कोषागार संहिता, 2011 में निहित प्रावधानों के अनुपालन के शर्त्त के साथ बैंक खाता खोले जाने की सहमति दी जा सकती है; एवं

(iv) बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-176 एवं 177 के आलोक में जब तक तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो, कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए एवं मांग की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों को व्ययगत हो जाने से बचाने के लिए कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए ।

4. वित्त विभागीय पत्रांक-1917/वि0 (सा0वि0) दिनांक 11.11.2016 के द्वारा बैंको का वर्गीकरण एवं सरकरी जमा राशि बैंकों में रखने के संबंध में विस्तृत अनुदेश जारी किया गया था, जिसके द्वारा निर्धारित मापण सूचकांक (Measurement Index) के माध्यम से शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बैंको के ग्रेडिंग हेतु मानक तय किये गये थे । इन मानकों में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत लक्ष्य की प्राप्ति प्रमुख मानक था । वर्त्तमान में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना के उपरांत यह मानक अप्रासंगिक हो गया है । इसके अतिरिक्त डिजीटल इंडिया की बढ़ती प्रासंगिकता से भी बैंको के क्रियाकलाप में दिनोंदिन बदलाव हो रहा है । अतः पूर्व निर्धारित मापदंड के आधार पर वर्गीकरण किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । साख जमा अनुपात, प्राथमिक प्रक्षेत्र में ऋण प्रवाह, वार्षिक साख लक्ष्य की प्राप्ति इत्यादि के आधार पर प्रत्येक त्रैमास में विभिन्न बैंकों की उपलब्धि राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा वेबसाईट पर डाली जाती है । इस संबंध में विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्वविवेक का प्रयोग करते हुये राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति के वेबसाईट पर उपलब्ध आँकड़ो एवं उपरोक्त उल्लेखित निदेशों के आधार पर स्वयं निर्णय लिया जा सकता है ।

5. वित्तीय नियमों के अनुपालन में खोले गये बैंक खातों के संचालन एवं नियंत्रण हेतु निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय :-

(i) विभागों/कार्यालयों में संधारित बैंक खातों के लिए संबंधित बैंकों से उक्त खातों के वित्तीय संव्यवहार के अवलोकन हेतु मात्र Viewing Facility प्राप्त किया जाय । यह सुविधा सबंधित विभागों/कार्यालयों के निकासी एवं व्यय पदाधिकारी-सह-खाता संचालक के पद नाम से होगी;

(ii) उक्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-खाता संचालक को User ID एवं Password प्राप्त होगा, जिसे वह अपने विभाग/कार्यालय के लेखा शाखा के प्रभारी पदाधिकारी (कार्यालय प्रधान/विशेष सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव) के साथ Share करेंगे । प्रभारी पदाधिकारी द्वारा समय-समय पर उक्त खाते में हो रहें वित्तीय संव्यवहार का निरीक्षण किया जायेगा; एवं

(iii) उक्त निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-खाता संचालक द्वारा उक्त खाते में हो रहे वित्तीय संव्यवहार को प्रत्येक माह Reconcile कर तत्संबंधी मासिक प्रतिवेदन अगले माह की पाँच तारीख तक संचिका के माध्यम से प्रधान सचिव/सचिव/कार्यालय प्रधान के अवलोकनार्थ उपस्थापित करेंगे ।

पूर्व में इस संबंध में निर्गत वित्त विभागीय परिपत्रों को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन

(सुजाता चतुर्वेदी)
प्रधान सचिव ।